न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 अपील 10/2018 दायर दिनांक: 04.10.2018

उनवान

1. मोहम्मद युनुस वल्द अलीमोहम्मद जाति मेवाती मुसलमान नि.नन्दपुरा (नयागांव) तहसील रायपुर
2. मोहम्मद अकरम वल्द अलीमोहम्मद जाति मेवाती मुसलमान नि.नन्दपुरा (नयागांव) तहसील रायपुर
3. जाकीर हुसैन वल्द अलीमोहम्मद जाति मेवाती मुसलमान नि.नन्दपुरा (नयागांव) तहसील रायपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत सुयांस पंचायत समिति पिडावा मु० सुनेल
2. सचिव ग्राम पंचायत सुयांस पंचायत समिति पिडावा मु० सुनेल
3. मृतक— मोहम्मद हनीफ वल्द अलीमोहम्मद नि. नन्दपुरा तहसील रायपुर

3/1 शाहेदा परवीन पत्नी मोहम्मद हनीफ जाति मेव नि.नन्दपुरा तहसील रायपुर

3/2 मोहम्मद जुनैद पिता मोहम्मद हनीफ जाति मेव नि.नन्दपुरा तहसील रायपुर

3/3 मोहम्मद अल्ताफ पिता मोहम्मद हनीफ जाति मेव नि.नन्दपुरा तहसील रायपुर

मृतक — हैदरअली वल्द अली मोहम्मद जाति मेव नि.नन्दपुरा तहसील रायपुर

4/1 रेशमाबी पत्नी हैदरअली जाति मेव नि.नन्दपुरा (नयागांव) तहसील रायपुर

4/2 काशिमखां पिता हैदरअली जाति मेव नि.नन्दपुरा तहसील रायपुर

4/3 रहनुमाबी पुत्री हैदरअली जाति मेव मुसलमान नि.नन्दपुरा तहसील रायपुर

5. रुकसानाबी पिता अली मोहम्मद जाति मेवाती नि.नन्दपुरा तहसील रायपुर
6. हसीनाबी पिता अलीमोहम्मद जाति मेवाती नि.नन्दपुरा तहसील रायपुर
7. खतीजाबी पिता अलीमोहम्मद जाति मेवाती नि.नन्दपुरा तहसील रायपुर
8. अकीलाबी पिता अलीमोहम्मद जाति मेवाती नि.नन्दपुरा तहसील रायपुर
9. शमाबी पिता अली मोहम्मद जाति मेवाती नि.नन्दपुरा तहसील रायपुर
10. सफियाबी पिता अलीमोहम्मद जाति मेवाती मुसलमान नि.नन्दपुरा तहसील रायपुर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील बनाराजगी नामान्तरकरण (फौती इंतकाल) सं... दिनांक 05.12.2017 को ग्राम पंचायत सुवांस द्वारा खोला गया के विरुद्ध अपील अंतर्गत धारा 75 भू. राजस्व संहिता 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(8)

उपस्थिति अभिभाषकगण :–
अभिभाषक अपीलांट :– श्री प्रेमचन्द चौधरी
अभिभाषक रेस्पोडेन्टस 3/1 से 3/3 :– शहजादी गौरी
रेस्पोडेन्टस 1 से 2 व 4/1 से 4/3 एवं 5 से 10 – एकतरफा
रेस्पोडैटस 11 – पेरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 30.03.2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम नन्दपुरा पटवार हल्का सुवांस भू. अ. निरीक्षक हल्का कालीतलाई में स्थित आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के अनुसार खाता सं० नया 9 व पुराना 7 में दर्ज आराजी कुल खसरा किता 9 कुल रकबा 26 बीधा 08 बिस्वा लगान 31 रूपये 94 दर्ज होकर खातेदार अली मोहम्मदखां पिता अलफखां मेवाती की खातेदारी में रहा है। खातेदार अलीमोहम्मद वल्द अलफखा का इन्तकाल (मृत्यु) होने पर उनके स्थान पर विरासत इन्तकाल (नामान्तरकरण) सं. 255 दिनाक 05.12.2017 को ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज कर मृतक के 5 पुत्र एवं 6 पुत्रियों का समान रूप से सह खातेदार दर्ज किया गया है जबकि मृतक मुस्लिम है। उनकी मृत्यु पर उनके वारीसान का विरासत का नामान्तरण मुस्लिम विधि के अनुसार दर्ज होना था इससे रुष्ट होकर अपीलार्थीगण अन्य आधारो के अतिरिक्त निम्न आधार पर अपील सादर पेश करते है। यहकि ग्राम पंचायत सुवास के द्वारा खोला गया इन्तकाल सं. 255 विधि विरूध होने से निरस्त होने योग्य है। यहकि ग्राम पंचायत सुवास (अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा नामान्तरकरण 255 गलत आधारों एवं गलत तथ्यों के मददे नजर दर्ज किया है इस कारण जैरकार नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है। यहकि ग्राम पंचायत सुवांस द्वारा हल्का पटवारी द्वारा मृतक अलीमोहम्मद का परिवारिक शजरा बनाया गया यह शिजरा मृतक के उत्तराधिकारी का है। इसी अनुसार नामान्तरकरण सं. 255 खोला गया है जो गलत एवं विधि विरुध होने से निरस्त होने योग्य है। यहकि ग्राम पंचायत सुवास द्वारा दर्ज किया गया जैरकार नामान्तरकरण हिन्दु विधि के अनुसार खोला गया है जबकि मृतक मुस्लिम शरीयत का व्यक्ति है। इस कारण मुस्लिम विधि में प्राप्त उत्तराधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

का हिस्सा भाग, हिन्दु उत्तराधिकार विधि से भिन्न है। इस कारण जैरकार नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है। यहकि ग्राम पंचायत सुवांस (अधिनस्थ न्यायालय) ने मृतक अलीमोहम्मद पिता अलफखां के गारीसान में 5 पुत्र एवं 6 पुत्रियों कुल 11 का समान रूप से हक हिस्सा भाग दर्ज कर प्रत्येक को मृतक की आराजी का 1/11 का हिस्सेदार बनाकर नामान्तरकरण द्वारा दर्ज किया गया है। जब कि मुस्लिम विधि में पुत्र एवं पुत्री का मूलक पिता की निर्वसीयत सम्पत्ति में समान हक हिस्सा नाहीं है। नामानतरकरण मुस्लिम विधि के प्रावधानी के विपरीत होने से जैरकार नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है। यहकि मृतक अलीमोहम्मदजी ने अपने जीवनकाल में ही आराजी का पारिवारीक सेटेलमेन्ट कर अपने पांच पुत्रों अपीलान्टस एवं रेग्योडेन्ट्स नं 3 व 4 को सुविधा अनुसार खसरा नम्बरान का किया है। तथा सभी पाच पुत्र अपने वालिद द्वारा किये गये बंटवारा अनुसार काबिज काशत है। सभी पुत्रिया अपना हक हिस्सा समान रूप से भाइयों में दे चुकी है। अब ग्राम पंचायत द्वारा फौती इन्तकाल विरासत के आधार पर जो खोला गया है। वह गलत होने से निरस्त होने योग्य हैं। यहकि ग्राम पंचायत सुवास द्वारा जैरकार नामान्तरकरण 255 दिनांक 05.12.2017 को खोला गया है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट्स को नहीं हो सकी है। क्योंकि अपीलान्ट्स अपने–अपने भाग हिस्सा जो उन्हें वालिद सा० के द्वारा पारिवारीक सेटलमेन्ट से किये गये बंटवारा भाग पर काबिज होकर खेती कर रहे है। इस कारण राजस्व रिकार्ड प्राप्त नहीं किया। परन्तु लगभग 10 दिन पूर्व चर्चा सुनने को मिली है कि बहनों का हक भी है तथा वह भी बराबर की हकदार, हिस्सेदार, मृतक अली मोहम्मदजी की पुत्रियां होने से है। इस प्रकार की चर्चा सुनने के बाद अपीलान्ट्स ने राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया तब जानकारी में आया हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा फौती इन्तकाल नामान्तरकरण संख्या 255 दिनांक 05.12.2017 हिन्दु विधि के अनुसार खोला गया है। जबकि मृतक खातेदार एवं उनके वारीसान मुस्लिम होकर मुस्लिम विधि को मानने वाले इस्लाम है। इस कारण देरी से नामान्तरकरण को निरस्त करने के [illegible]नीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की हैं। देरी जानकारी [illegible] रहा [illegible] तथा अन्दर अवधि जानकारी से अपील पेश की है। देरी [illegible] मियाद अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज०)

का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। यहकि| नामान्तरकरण संख्या 255 ग्राम पंचायत सुवांस द्वारा खोला गया हैं। इस कारण माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। यहकि अपील माननीय न्यायालय हाजा में उचित न्याय शुल्क पर अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं। अतः अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से अपीलान्ट्स प्रार्थना करते है कि (अधिनस्थ न्यायालय) ग्राम पंचायत सुवास द्वारा नामान्तरकरण संख्या 255 दिनांक 05.12.2017 को स्वीकार कर फौती इन्तकाल खोला (दर्ज किया) गया है। इसको निरस्त करने की कृपा करें।

2. अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेटस 3/1 से 3/3 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपील का पैरा नम्बर 01 अस्वीकार है क्योंकि नामान्तरण संख्या–255 सम्पुर्ण जॉंच के बाद विधिक तरीके से तस्दीक किगया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यह कि अपील का पैरा नम्बर 02 अस्वीकार है। यह कि अपील का पैरा नम्बर 03 स्वीकार है। यह कि अपील का पैरा नम्बर– 04 अस्वीकार है क्योंकि ग्राम पंचायत सुर्वीस द्वारा नामान्तरण हिन्दू विधि अनुसार नहीं खोला जाकर धारा 135 रा.टी.एक्ट के तहत खोला गया है। जिसमें पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रिया अपनाई गई है तथा मुस्लिम सुन्नी विरासत कानून के तहत ही नामान्तरण दर्ज किया गया है। जिसने पुरूष के बराबर ही महिलाओं का हिस्सा प्राप्त होता है। यह कि अपील का पैरा नम्बर 05 में 1/11 हिस्से से नामान्तरण तस्दीक होना स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है। यह कि अपील का पैरा नम्बर– 06 अस्वीकार है क्योंकि सह खातेदारी में सभी खातेयारी का प्रत्येक इंच भुमि पर कब्जा काश्त माना जाता है। यह कि अपील का पैरा नम्बर 07 अस्वीकार है क्योकि अपीलान्ट को पूर्ण जानकारी नामान्तरण तस्दीक करवाते समय से ही थी और राजस्व रेकार्ड मे नामान्तरण दर्ज ही अपीलान्ट ने करवाया था ओर सभी के आधार कार्ड भी दिये गये [illegible] हुए यह कहना की नामान्तरण में बहिनो को भी बराबर का हक है। इस [illegible] जानकारी नही थी स्वीकार योग्य नहीं है। विशेष आपत्तियां – यह कि [illegible] अपीलान्ट मियाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज.)

1. मोहम्मद युनुस पुत्र अली मोहम्मद जाति मेवाती

Scanned with OKEN Scanner

बाहर होन से खारिज होने योग्य है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी का ऐसे कोई ठोस तथ्य नहीं दिये है कि तथा 05 अवधि अधिनियिम के प्रार्थना पत्र में भी अपील पेश करने में हुई देरी के प्रत्येक दिन का कोई ठोस प्रमाण नही दिया है। मात्र यह कह देने से कि अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी। कारण प्रयाप्त नही होता है। इसलिए अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन पर ही खारीज होने योग्य है। यह कि जेरकार अपील से सम्बधित आराजी का नियमित वाद माननीय न्यायालय में लम्बित है जिसका उनवान रूकसाना बी बनाम मोहम्मद युनुस वगैराह जिसमे रेस्पोडेन्ट नम्बर 05, 06, 08, 09, 10 में अर्न्तगत धारा 53, 209 राज.टी.एक्ट के तहत पेश कर रखा है, जो अभी भी लम्बित है तथा अपीलान्ट भी उस वाद में पक्षकार है। ऐसी स्थिति में नियमित वाद मे अधिकार तय होना बाकी है। इसलिए नियमित वाद के लम्बित रहते हुए। अपील खारिज योग्य है। अतः जवाब अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

3. रेस्पोडैटस 1 से 2 व 4/1 से 4/3 एवं 5 से 10 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 15.10.2024, दिनांक 10.12.2024, दिनांक 27.06.2025 को रेस्पोडेन्टस सं. 1 से 2 व 4/1 से 4/3 एवं 5 से 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। का जवाब अवसर बंद किया गया।

4. अपीलांटस की ओर से अपील के समर्थन में ग्राम नन्दपुरा नामान्तरण संख्या 255 दिनांक 05.12.2017 की सत्यप्रति, ग्राम नन्दपुरा का खाता सं. 9 जमाबंदी सं. 2069–72, खसरा गिरदावरी सं. 2073, नक्शा ट्रेस दिनांक 05.09.2018, ग्राम पंचायत सुवांस की बैठक कार्यवाही दिनांक 05.12.2017 की प्रति, पेश की।

5. रेस्पोडेन्टस सं. 3/1 से 3/3 की ओर से [illegible] 24/2022 रूकसानाबी बनाम मोहम्मद युनुस की आदेशिका [illegible] जवाब दावा मय काउन्टर, खाता सं. 9 जमाबंदी सं. 2081 नकल 2010(2) RRT 1387 बोर्ड आफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

रेवन्यु राज.जैतूनी व अन्य बनाम सपतखान व अन्य निर्णय दिनांक 03.02.2010 न्यायिक नजीर पेश की।

6. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस अपील सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम नंदपुरा तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी गत खाता सं. 9 किता 9 रकबा 26–08 बीघा बाद सेटलमेंट 2026 हाल खाता सं. 9 किता 12 रकबा 6.6692 है. अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस के पिता अली मोहम्मदखां वल्द अलफखां के खाते दर्ज रिकार्ड थी। पिता के फोत होने के बाद हल्का पटवारी सुवांस द्वारा फोती नामा. सं. 255 दिनांक 18.11.2021 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानो के अनुसार खोला गया जिसे ग्राम पंचायत सुवांस की कोरम द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार ही निर्णित कर दिया गया। अपीलांट व रेस्पोडेन्टस मुस्लिम समुदाय से आते है और उत्तराधिकार की मुस्लिम विधि से शासित होते है। मुस्लिम समुदाय का नामान्तरण मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अनुसार दर्ज होते है जिसमें सभी जीवित पुत्रो का अधिकतम हिस्सा 2/3, सभी जीवित पुत्रियों का अधिकतम हिस्सा 1/3 व जीवित बेवा का अधिकतम हिस्सा 1/8 से अधिक नहीं हो सकता है। अतः मृतक मुस्लिम खातेदार अली मोहम्मद का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार दर्ज फोती नामान्तरण सं. 255 को खारीज किया जाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार नामान्तरण दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

7. अभिभाषक रेस्पोडेटस द्वारा उक्त बहस का पूरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि मृतक अली मोहम्मद वल्द अलफखां मेवाती का धर्म मुस्लिम नहीं है। मेव जाति के लोग मुस्लिम समुदाय के अन्तर्गत नहीं आते है और इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 से शासित नहीं होते है। जो समुदाय मुस्लिम पर्सनल ला से शासित नहीं होते है वे सभी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार शासित होते है। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस द्वारा आगे तर्क किया गया कि नामा सं. 255 दिनांक 05.12.2017 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

1. मोहम्मद युनुस वल्द अली मोहम्मद जाति मेवाती

Scanned with OKEN Scanner

13

निर्णित हुआ था और हस्तगत अपील करीब 10 माह बाद दिनांक 04.10.2018 को पेश की गई थी। अतः अपील मियाद बाहर होने और वादग्रस्त आराजी को लेकर इसी न्यायालय में अन्य वाद सं. 24/2022 रूखसानाबी बनाम मोहम्मद युनुस वगै. लंबित होने से अपील अपीलांट खारीज की जावे।

8. उभयपक्ष की बहस अपील के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पेश न्यायिक दृष्टांतो से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। अपीलांटस द्वारा पेश ग्राम नंदपुरा की वादग्रस्त आराजी पुराना खाता सं. 9 कित्त 9 रकबा 26—08 बीघा बाद सेटलमेंट 2026 हाल खाता सं. 9 किता 12 रकबा 6.6692 है. की जमाबंदी सं. 2069—72 एवं सं. 2081 दिनांक 06.02.2026 के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस के पिता अली मोहम्मदखां वल्द अलफखां के खाते दर्ज रिकार्ड थी और खातेदार अली मोहम्मद के फोत होने के बाद विरासत का नामान्तरण दर्ज किया जाना था। हस्तगत प्रकरण में विवाद/अपील का मुख्य बिन्दू यह है कि — क्या मृतक खातेदार मुस्लिम समुदाय से है या नहीं ? क्या मृतक खातेदार का नामान्तरण मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार निर्णित किया जाना चाहिए था या नहीं ? राजस्व रिकार्ड में दर्ज कोई खातेदार मुस्लिम है या हिन्दू— यह मुख्यतः सिविल मैटर है जिसका निर्धारण सक्षम सिविल न्यायालय से किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में मृतक खातेदार अली मोहम्मद, अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्टस की जमाबंदी में जाति मेव या मेवाती दर्ज है। मेरे ज्ञान के अनुसार मेव या मेवाती सामान्यतः 14 वी से 17 वी शताब्दी के मध्य हिन्दू समुदाय से मुस्लिम समुदाय में कर्न्वटेड एक विशिष्ट समुदाय है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अल्लाह एवं कुरान के कानूनो में विश्वास करते है और मुस्लिम रीति रिवाजो व परम्पराओं का पालन करते है। मेव समुदाय के लोग खतना, शहादा (अल्लाह के कानून में विश्वास की घोषणा), सलाद (दिन में पांच बार नमाज), जकात (दान), सौम (रमजान के रोजे), निकाह, हज आदि मुस्लिम धार्मिक कर्त्तव्यों का निर्वहन करते है। अतः मेरे ज्ञान के अनुसार मेव समुदाय के लोग मुस्लिम है और उत्तराधिकार की मुस्लिम विधि/ मुस्लिम पर्सनल लॉ से शासित होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

9. मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 की धारा 2 (Application of personal law to muslims) के अनुसार मुस्लिम व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधान लागू होते है। अतः मृतक खातेदार अली मोहम्मदखां वल्द अलफखां का फोती नामान्तरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार निर्णित नहीं होकर मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों अनुसार निर्णित किया जाना चाहिए था। अतः ग्राम पंचायत सुवांस द्वारा निर्णित नामा.सं. 255 दिनांक 05.12.2017 विधिक प्रावधानो के विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध होने से खारीज योग्य जाहिर है।

10. यह सही है कि अपीलांटस द्वारा यह अपील नामा.सं. 255 के तस्दीक होने के करीब 10 माह बाद पेश की गई है जो मियाद बाहर है लेकिन उपर मद कम 8 व 9 में किये गये विवेचन व विश्लेषण के आधार पर यह तथ्य साबित है कि ग्राम पंचायत सुवांस द्वारा निर्णित नामांतरण सं0 255 मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानो के विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध (**void ab initio**) होने से खारीज योग्य है। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयो एवं राजस्व मण्डल द्वारा विलंब के संबंध में यह सिद्धात प्रतिपादित किया है कि किसी अपील को मियाद के बिन्दु खारिज करने से पूर्व प्रकरण की मेरिट पर समुचित रूप से विचार किया जाना चाहिये एवं अपील मेरिटस के आधार पर सुदृढ रूप से खडी हो तो प्रकरण का निर्णय मेरिटस के आधार पर ही किये जाने के प्रयास करने चाहिये। इस सिद्धांत को यदि हम वर्तमान प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करें तो यह स्पश्ट होता है कि इस प्रकरण में अपीलांटस द्वारा मेरिट के संबंध में उठाये गये कानूनी एवं तथ्यात्मक बिन्दू सुदृढ साक्ष्य पर आधारित है। ग्राम पंचायत द्वारा मुस्लिम खातेदार का हिन्दू उत्तराधिकार विधि के अनुसार नामान्तरण निर्णित किया गया। ऐसे प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध (**void ab initio**) नामान्तरण आदेश के विरूद्ध कभी भी अपील की जा सकती है। ऐसे भून्य प्रभावी नामांतरण को चुनौती देने के लिए मियाद कभी बाधक नही होती है। जिन प्रकरणों में स्थापित विधिक प्रावधानो का उल्लंघन किया गया हो उन प्रकरणों को सदैव गुणागुण पर निर्णय करना ही प्राकृतिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 16:57:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

न्याय का सिंद्धांत है। यह सही कि विलंब के लिए माफी प्रदान करना न्यायालय के विवेक अधिकार का मामला है। परिसीमन अधिनियम 1963 की धारा 5 यह नही कहती है कि विवेकाधिकार का उपयोग मात्र तब ही किया जायेगा जबकि विलंब निश्चित परिसीमा के अंदर हो। अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाकर देरी माफ किया जाना न्यायोचित है।

11. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम नन्दपुरा तहसील रायपुर का नामा.सं. 255 दिनांक 05.12.2017 के विरूद्ध पेश अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

12. परिणामतः ग्राम नन्दपुरा तहसील रायपुर का नामा.सं. 255 दिनांक 05.12.2017 के विरूद्ध पेश अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत सुवांस द्वारा निर्णित नामा.सं. 255 को खारीज किया जाकर तहसीलदार रायपुर को आदेश दिये जाते है कि अपील मियाद गुजरने के बाद मृतक खातेदार अली मोहम्मदखां वल्द अलफखां का फोती नामान्तरण विधिक वारीसानो की जांच कर उत्तराधिकार की मुस्लिम पर्सनल विधि के अनुसार निर्णित किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/03/2026

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:58 IST
Reason: SelfAttested